इंदिरा सागर के पर्यटन स्थलों को जल मार्ग से जोड़ने की अनुमति मांगी

नवभारत न्यूज

खंडवा। इंदिरा सागर बनने के बाद पर्यटन की बड़ी संभावनाएं नजर आ रही हैं। यह बात अलग है कि सरकार और प्रशासन एक पांव आगे बढ़ाता है, तो चार कदम पीछे हट जाता है।हनुमंतिया पर भी करोड़ों खर्च किए गए ।बाद में पुरानी पि. र के पोस्टर की तरह इसे सरकार ने हटा दिया।

अब कलेक्टर की जनसुनवाई में एक जागरुक व्यक्ति ने ऐसा सुझाव दिया है, जिसे मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम ने लागू करना चाहिए। यह व्यक्ति खुद ही इंदिरा सागर के किनारे वाले पर्यटकों पर पर्यटन स्थलों पर नाव और बोट चलाने की अनुमति मांग रहा है। कलेक्टर को भी यह

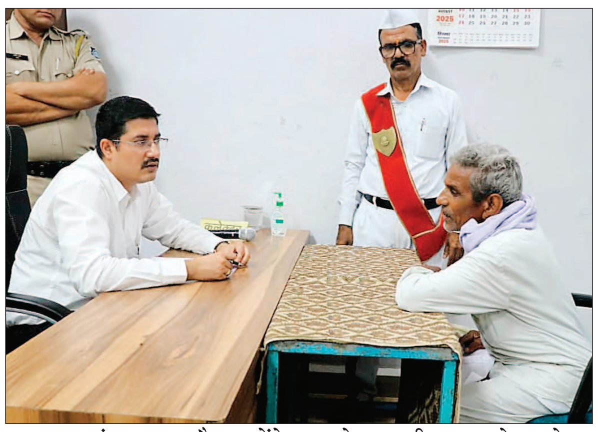

सुझाव पसंद आया और उन्होंने अपर कलेक्टर अरविंद चौहान को इसकी संभावनाएं तलाशने के लिए नियुक्त कर दिया।

जनसुनवाई में पुनासा विकासखंड के ग्राम छाल्पीखुर्द निवासी पवन पिता मोहनदास ने कलेक्टर श्री गुप्ता को आवेदन देकर इंदिरासागर जलाशय, सिंगाजी समाधि स्थल से बेड़िया नागरबेड़ा,तितली पार्क, हनुमंतिया ,बोरिया माल जैसे पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नाव चलाने हेतु अनुमति की मांग की। कलेक्टर ने जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश अपर कलेक्टर अरविंद चौहान को दिए।

लहाड़पुर सरपंच की शिकायत- जनसुनवाई में किल्लौद विकासखंड की ग्राम पंचायत निवासी नियाज मोहम्मद एवं अन्य ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत लहाड़पुर के सरपंच और सचिव द्वारा निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किये जाने की शिकायत करते हुए जांच की मांग की, जिस पर कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जांच कर समय सीमा में रिपोर्ट भेजने के लिए कहा।

फसल खराब हो गई,बीमा दिलवाएं

हरसूद तहसील के ग्राम तोरनिया निवासी लखन पिता किशोर जाधम तथा शैलेन्द्र सिंह चौहान निवासी रामपुरा तहसील खंडवा ने कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी सोयाबीन की फसल नष्ट होने की जानकारी दी और क्षतिपूर्ति बीमा राशि के सम्बंध में अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने उप संचालक कृषि को आवेदन का परीक्षण कर पात्रता अनुसार आवेदक की मदद करने के लिए कहा। जनसुनवाई में मोहन पिता परमा निवासी छाल्पाखुर्द तहसील मूंदी ने कलेक्टर श्री गुप्ता को आवेदन देकर अनुरोध किया कि वर्ष 2023-24 में उसकी सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई थी, जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, जिस पर कलेक्टर श्री गुप्ता ने उप संचालक कृषि को आवेदक की पात्रता का परीक्षण कर पात्रता अनुसार लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

सरकारी जमीन से कब्ज़ा हटवाएं

मूंदी तहसील की ग्राम पंचायत गुलगांव रैयत के ग्राम हेड़ई निवासी राजू ने सरकारी जमीन पर किये गए अवैध कब्जे को हटवाने के सम्बंध में कलेक्टर को आवेदन दिया, जिस पर उन्होंने एसडीएम पुनासा को शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।

भेलसी के स्कूल में समय पर नहीं पहुंचते शिक्षक

छतरपुर, 26 अगस्त. छतरपुर तहसील क्षेत्र के भेलसी गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है. ग्रामीणों और अभिभावकों ने आरोप लगाया कि विद्यालय के शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते और आपसी सहमति से बारी-बारी से आने का नियम बना लिया है. इस कारण बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है.

मौके पर जांच के दौरान केवल अतिथि शिक्षक जय राम प्रजापति ही मौजूद मिले. जब प्रधानाध्यापक राजा बलदेव सिंह भदौरिया से सवाल किया गया तो उन्होंने भी माना कि विद्यालय में मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाता और कई शिक्षक बिना छुट्टी लिए अनुपस्थित रहते हैं. अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि बच्चों से स्कूल में बर्तन धुलवाए जाते हैं और झाड़ू लगवाई जाती है. इतना ही नहीं, जब वे शिकायत करते हैं तो शिक्षकों की ओर से उल्टा एफआईआर कराने की धमकी दी जाती है.

इससे अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है. इस मामले में डीपीसी अरुण शंकर पांडे ने कहा कि शिक्षकों के समय पर न आने और बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहने की शिकायत मिली है. संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बच्ची का अपहरण करने वाली गिरफ्तार

मां के गोद से बच्ची को छीन ले गई थी अज्ञात महिला

चितरंगी 26 अगस्त. स्थानीय नगर के बाजार में आज दिन मंगलवार की दोपहर के उस समय हड़कंप मच गया जब एक दूधमुही बच्ची को उसी के मां के गोद से एक अज्ञात महिला छीन कर भाग गई.

पुलिस की तत्परता से दूधमुही बच्ची को आरोपी महिला के कब्जे से बरामद कर गिरफ्तार कर लिया. चितरंगी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गढ़वा थाना क्षेत्र के ग्राम तमई निवासी पानकली पाल पिता रामकेश पाल उम्र 30 वर्ष अपने माईका से ससुराल जा रही थी कि चितरंगी बाजार में आज दिन मंगलवार की दोपहर करीब 1 से दो बजे की बीच खड़ी थी. तभी एक अज्ञात महिला आई और दूधमुही बच्ची को लूट कर भाग खड़ी हुई. महिला चीख-पुकार करती रही.

घटना की सूचना पुलिस को दी गई. जहां पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुये सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर महिला की शिनाख्त कराते हुये पुलिस टीम छानबीन एवं तलाश में लग गई. इस दौरान पुलिस को पता चला कि बच्ची का अपहरण करने वाली महिला खटाई गांव की है. पुलिस ने तत्काल खटाई रवाना हुई और आरोपी महिला आरती नाई उर्फ रीता साहू पिता रामकुमार नाई दूधमुही बच्ची के साथ मिल गई.

> पुलिस ने अपहत दो माह की बच्ची को बरामद कर उसकी मॉ पानकली को सौपते हुये आरोपी आरती के विरूद्ध बीएनएस की धारा 137(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध की. उक्त कार्रवाई में टीआई सुधेश तिवारी, एसआई सुरेन्द्र यादव, एएसआई रामजी पाण्डेय, प्रआर कैलाश सिंह, आर वीर प्रताप सिंह, शिव कुमार पटेल, सुभाष पाल, नूर आलम, जितेन्द्र तिवारी, प्रतिभा टोप्पो का योगदान सराहनीय रहा.

लापता हुई किशोरी को किया बरामद

सीधी,27 अगस्त. रामपुर नैकिन पुलिस नें तीन माह पूर्व लापता हुई नाबालिक किशोरी को सकुशल बरामद किया. एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी रामपुर नैकिन निरीक्षक सुधांशु तिवारी के नेतृत्व में रामपुर नैकिन पुलिस ने लगभग तीन माह पूर्व गुम हुई नाबालिक किशोरी को दस्तयाब कर सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया है. पुलिस के अनुसार 28 मई को थाना रामपुर नैकिन में फरियादी द्वारा अपनी नाबालिक पुत्री के अचानक लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. परिजनों ने बताया कि आसपास, रिश्तेदारी एवं नातेदारी में भी कोई सुराग नहीं मिला.

तेंदुए का शिकार कर हड्डियां बेचने वाले गिरफ्तार

कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम ने की कार्रवाई

मंडला,27 अगस्त. कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेंदुए का शिकार कर अवैध कारोबार करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मलाजखंड वार्ड क्रमांक 15, कान्हा नगर का निवासी धीरसिंह उइके संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है. पूछताछ में धीरसिंह ने खुलासा किया कि उसने तीन नग नालून चीतलमृग पन्ने आरोपी चेतराम पन्ने को बेचे थे. वन विभाग की विशेष टीम ने

चेतराम पन्ने से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने लगभग एक वर्ष पूर्व बेतुल जिले में तेंदुए का शिकार कर उसके अंग-भंग हिस्से अपने पास छिपाकर रखने की बात कबूल की. आरोपी की निशानदेही पर 692 बीट किन्तला वन परिक्षेत्र के चुपे मैदान से तेंदुए की हड्डियां, अवशेष एवं अंग बरामद किए गए.

जेल भेजा

घटना स्थल की वैज्ञानिक जांच वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम और एनटीसीए, नई दिल्ली के निर्देशानुसार की गई. इस दौरान मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, क्षेत्र संचालक, उप संचालक एवं विशेषज्ञ अधिकारियों की मौजूदगी रही. वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 46552/01 दर्ज कर उन्हें न्यायालय बैहर में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

नदी में तैरता मिला युवक का शव

सतना,27 अगस्त. मैहर जिले के नादन थाना क्षेत्र अंतर्गत खरवाही की नदी में एक युवक का शव तैरता पाया गया. परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई गई है. पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है. नदी की ओर निकले ग्रामीण पानी में शव तैरता देख घबरा गए. आनन-फानन में घटना की सूचना अन्य ग्रामीणों सहित पुलिस को दी गई. नदी से बाहर निकलवाए जाने पर मृतक की पहचान अमरपाटन रोड ग्राम चोरहटा थाना रामपुर बघेलान निवासी अनिल पाठक उर्फ भोला उम्र 32 वर्ष के तौर पर हुई. पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. परिजनों ने पुलिस को बताया कि अनिल रविवार की दोपहर खेत की ओर गया था.

कांग्रेस के पूर्व पार्षद पर एफआईआर

सिंधिया के खिलाफ फेसबुक पर कमेंट करना पड़ा भारी

ग्वालियर,27 अगस्त. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ फेसबुक पर की गई टिप्पणी कांग्रेस के पूर्व पार्षद को भारी पड़ गई है. महेंद्र जैन मिंदा के खिलाफ सिंधिया समर्थकों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

मामला एक वायरल वीडियो से जुड़ा है जिसमें खिरका टांका गांव की एक महिला धार्मिक प्रवक्ता अनिरुद्ध आचार्य को अपने गांव में स्कूल की बदहाल स्थिति की शिकायत करती नजर आ रही है. महिला का कहना है कि गांव में स्कूल तो है लेकिन कोई शिक्षक नहीं आता, जबकि विधायक का घर महज दो

किलोमीटर दूर है.

इस वीडियो को कांग्रेस नेता सचिन शर्मा ने अपने फेसबुक पेज पर साझा किया था. इसी पोस्ट पर कांग्रेस के पूर्व पार्षद महेंद्र जैन मिंदा ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को लेकर कथित रूप से अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे भाजपा समर्थकों में रोष फैल गया. भाजपा समर्थक थाने पहुंचे व मिंदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी है.

> भाजपा समर्थकों ने मिंदा की टिप्पणी को अपमानजनक, आपत्तिजनक और भावनाएं आहत करने वाला बताया है. उनका कहना है कि यह टिप्पणी न केवल सिंधिया का अपमान है बल्कि उनके समर्थकों की भी अवमानना है.

हितग्राहियों को लाभ के लिए जागरूकता कार्यक्रम करें

रीवा, 26 अगस्त. मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ावर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने अपने रीवा प्रवास के दौरान पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से प्राप्त होने वाली योजनाओं समीक्षा की. उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले तथा अन्य हितग्राही सभी योजनाओं का लाभ लें सके इसके लिये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएं. कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में डॉ. कुसमरिया ने कहा कि छात्रों के छात्रवृत्ति का समय पर लाभ मिले तथा अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ वर्गों के व्यक्ति ले सके.

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की सुनवाई के लिए गठित की जाए नई विशेष बेंच

जबलपुर, 26 अगस्त. नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाडे संबंधित याचिका पर जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इंकार कर दिया.

छत्तीसगढ़ स्थानांतरण होने के कारण जस्टिस अतुल श्रीधरन ने संबंधित याचिका की सुनवाई से खुद को पृथक करते हुए सुनवाई के लिए नयी विशेष बेंच स्थापित करने के लिए चीफ जस्टिस से आग्रह किया.गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल तरफ से प्रदेश में फर्जी तरह से संचालित नर्सिंग के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गयी थी.

याचिका की सुनवाई की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की जांच के निर्देश दिये थे. सीबीआई जांच में अनसूटेबल पाये गये छात्रों का स्थानांतरण सूटेबल कॉलेज में किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया गया था. अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों का स्थानांतरण सीबीआई जांच में सूटेबल कॉलेज में किये जाने के आदेश जारी किये थे. आदेश के बावजूद भी छात्रों को स्थानांतरण सूटेबल कॉलेज में किये जाने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता की तरफ से अवमानना आवेदन दायर किया गया था. न्यायालय को बताया कि नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियमों में किसी जिले के छात्रों को उसी जिले में स्थानांतरित करने संबंधी प्रावधान के चलते सभी हजारों छात्रों को स्थानांतरित करने में सीटों की समस्या आ रही है.

युगलपीठ छात्र हित को ध्यान में रखते हुए मान्यता नियम के उस प्रावधान को इस प्रयोजन हेतु शिथिल करते हुए नर्सिंग काउंसिल को आदेश दिए हैं कि तत्काल स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को सूटेबल कॉलेज में शिफ्ट किया जाए साथ ही कोर्ट ने कहा कि जीएनएम डिप्लोमा में अध्यनरत छात्रों के संबंध में मंगलवार को सुनवाई निर्धारित थी।

खातेगांव में 9 सालों से कर रहे गौसेवा

निवाली,27 अगस्त. नगर की एक शख्सियत 9 सालों से क्षेत्र में गौसेवा से देवास जिले के खातेगांव नाम कमा रहे हैं. मैं बात कर रहा हूं पद्मश्री स्व कांता बहन त्यागी शासकीय महाविद्यालय निवाली के प्राचार्य डॉ अभय जैन जो देवास जिले के खातेगांव में रहते हैं और खातेगांव में ही गौ सेवा का बीड़ा उठाकर मित्रों व सहयोगियों का साथ लेकर 9 साल से गली-गली और चौराहे-चौराहे घूम कर गौमाता, नंदी महाराज और श्वानों को रोटी खिला रहे हैं. सेवा का यह कार्य शाम 6 बजे शुरू होता है, जो 9-10 बजे तक चलता रहता है. बाईक पर साथी बैठा कर झोले में 11 किलो आटे की रोटियां प्रतिदिन रखकर जहां गौ माता व नंदी महाराज दिखे. वहीं रोक कर उनको रोटी खिलाने लग जाते हैं. एक तरह से लोगों को यह पागलपन लगता होगा पर उनमें सेवा की ऐसी लगन लगी हुई है कि वह किसी की फिक्र नहीं करते घर वाले भी रोकते हैं अब परीजनों ने भी टोकना बंद कर दिया है. कई मित्र भी इस पागलपन पर उनकी हंसी उड़ाते हैं.

भाजपा महिला मोर्चा ने किया पुतला दहन

जीतू पटवारी के विवादित बयान पर आक्रोश

मंदसौर,27 अगस्त. मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा दिए गए विवादित बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्यप्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीती हैं, को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश व्याप्त है.

इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित और भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष निर्मला गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा, जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार

प्रदर्शन कर कांग्रेस नेता का पुतला दहन किया. भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष निर्मला गुप्ता ने कहा कि जीतू पटवारी का यह वक्तव्य प्रदेश की मातृशक्ति का घोर अपमान है. यह केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि प्रदेश की करोड़ों महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी है. कांग्रेस नेताओं की मानसिकता प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और मातृशक्ति के प्रति संकीर्ण सोच को उजागर करती है. भाजपा महिला मोर्चा ने मांग की कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तत्काल प्रदेश की महिलाओं से सार्वजनिक माफी मांगें, अन्यथा आंदोलन और उग्र किया जाएगा.

पति-पत्नी पर हमला कर युवक ने खुद को चाकू मारे, मौत

सिवनी, 26 अगस्त. सिवनी में हरितालिका के दिन मंगलवार की रात फिर एक चाकू बाजी की घटना सामने आई जहां चाकू के वार से लुघरवाड़ा निवासी एक युवक ने अपने परिचित एक पति-पत्नी को जबलपुर रोड स्थित साई रेंसीडेंन्सी के पास जहां चाकू मार कर घायल किया है.

वहीं युवक ने अपने आप को भी चाकू मार लिया जिससे युवक की मौत हो गई. इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. जानकारी के अनुसार लुघरवाड़ा निवासी हर्षित वर्मा ने अपने परिचित एक पति-पत्नी दंपति के ऊपर किसी बात को लेकर चाकू से हमला कर दिया। कोतवाली थाना प्रभारी किशोर बामनकर ने बताया कि दलसागर तालाब साई हॉस्पिटल के समीप निवासरत प्रकाश ठाकुर व उनकी पत्नी श्रद्धा ठाकुर के ऊपर हर्षित वर्मा ने पहले चाकू से हमला बोल दिया। जहां प्रकाश ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं उनकी पत्नी श्रद्धा ठाकुर भी घायल हुई है जिनका इलाज सिवनी अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ ही हमलावर युवक ने अपने आपको भी घायल कर लिया अपने शरीर में चाकू से शरीर की नसों को काट लिया.

जहां अधिक रक्तस्राव के चलते युवक की मौत हो गई। फिलहाल कारण अज्ञात है। पुलिस ने मर्ग कायम

मिलेगा रोजगार शहर का फोरलेन, एक और बायपास की सौगात, किसानों के लिए आलू-प्याज की मंडी

8 हजार करोड़ का निवेश, भीमावद में विकास का अरुणोदय

शाजापुर, 26 अगस्त. शाजापुर के लोगों से अब बेरोजगारी दूर जाने वाली है और लोगों के लिए रोजगार के द्वार खुलने वाले हैं. शाजापुर जिले में पहली बार 8 हजार करोड़ का निवेश किया जा रहा है. जिससे लगभग 4 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा.

विधायक अरुण भीमावद ने शाजापुर विधानसभा में विकास का अरुणोदय किया. एक और फोरलेन की सौगात, बायपास और किसानों के लिए आलू-प्याज की मंडी की सौगात दी.

गौरतलब है कि शाजापुर विधायक अरुण भीमावद ने शाजापुर विधानसभा में विभिन्न

विकास कार्यों को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को विकास कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक नक्शे पर शाजापुर का नाम एक बार फिर चमकने वाला है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों का असर अब धरातल पर नजर आ रहा है. इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि देश का नामी उद्योग समूह जैक्शन ग्रुप शाजापुर जिले के मक्सी फेस-2 (बरण्डवा) औद्योगिक क्षेत्र में दो बड़े सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने जा रहा है. यह कदम जिले और प्रदेश के औद्योगिक विकास में नई रफ्तार लाएगा. साथ ही हरित ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की स्थिति को और मजबूत करेगा. मक्सी में कुल 8151 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले इन दोनों प्रोजेक्ट्स के जरिए 4100 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का स्पष्ट विजन है शहर जिले में उद्योग, हर घर में रोजगार. इसी सोच के तहत बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे कस्बों में भी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों को अपने ही इलाके में रोजगार मिल सके और पलायन पर रोक लगे.

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रवि पांडे, भाजपा नगर अध्यक्ष अशीष नागर, नपाध्यक्ष प्रेम जैन, उपाध्यक्ष संतोष जोशी, प्रदीप चंद्रवंशी, किरण ठाकुर, मनोहर विश्वकर्मा, उमेश टेलर, गोविंद नायक, महेश भावसार, जुगल नाहर, हरिओम गोठी, राधेश्याम गुर्जर सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद थे.

आवंटन पत्र जारी

एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक चंद्रमौलि शुक्ला ने दोनों परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन पत्र जारी कर दिए हैं. मध्य प्रदेश पहले से ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अग्रणी है. रीवा, नीमच और आगर जैसे जिलों में बड़े सोलर प्रोजेक्ट पहले से संचालित हो रहे हैं. अब शाजापुर का मक्सी इस सूची में शामिल हो जाएगा. जैक्शन ग्रुप का यह प्रोजेक्ट 6 गीगावॉट क्षमता वाला एकीकृत सोलर प्लांट होगा.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	76416554	संपत्ति के विरुद्ध ऋण	4.8.2025	रु. 4,84,188.52/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. जितेंद्र भंवरलाल 2. कविता अमलदार

संपत्ति का पता: - अचल संपत्ति का पूरा टुकड़ा 480 वर्ग फुट क्षेत्रफल (44.60 वर्ग मीटर), वार्ड क्रमांक 05, पीएच नं. 38 (पुराना) और 71 (नया), ग्राम कुंभा खेड़ी, तहसील पेटलावद और जिला झाबुआ (मध्य प्रदेश) में स्थित है, और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई है- पूर्व- रतनलाल वानिया का मकान, पश्चिम- राम मंदिर, उत्तर- पब्लिक रोड, दक्षिण- सोहन पुत्र लक्ष्मण का मकान.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
2.	138627452	संपत्ति के विरुद्ध ऋण	08.08.2025	रु. 6,94,944.98/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. पूंजराज माला 2. सुगंधा बाई

संपत्ति का पता: - मकान संख्या 430, क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट (83.64 वर्ग मीटर), ब्लॉक संख्या 912, पटवारी हल्का संख्या 22, ग्राम भगोरा, तहसील अम्बेडकर नगर, महू और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-453441, और निम्नलिखित से घिरा हुआ- पूर्व- लक्ष्मीबाई का घर, पश्चिम- दुलीचंद का घर, उत्तर- कॉमन वे, दक्षिण- अंबरम का घर.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी /-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 27.8.2025
स्थान: मध्यप्रदेश